न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00054

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

खरयाराम पुत्र अचलाराम जाति भाम्बी निवास लूणावास तहः जोधपुर

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :–10.01.25**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 1 पीकेएम मु0नं0 204/33 के किला नं0 1, 10 तादादी 0.5058 हैक्टर कमाण्ड में खातेदार खरयाराम पुत्र अचलाराम जाति भाम्बी निवास लूणावास तहः जोधपुर ने अपने धारित भूमि के किला नं0 1 ता 2 के कुल 2.00 बीघा में प्रतिवादी द्वारा अवैध जिप्सम खनन करने से खातेदार द्वारा शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहस सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को पक्ष रखने हेतु समन जारी किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी के नाम मु0नं0 204/33 के किला नं0 1 ता 15, 19, 20 की 17.00 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा अप्रार्थी की भूमि में जिप्सम नहीं है। भूमि पर लगातार काश्त हो रही है। पटवारी हल्का माधोडिग्गी की रिपोर्ट 10.12.2012 का दावा/प्रार्थनापत्र दिनांक 5.1.15 में पेश किया गया है जो मियाद बाहर पेश किया है इसलिए काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी की भूमि की रिपोर्ट दिनांक 11.02.2020 को की गई है जिसमें की गई मौका फर्द अनुसार 17.00 बीघा पर आदूराम पुत्र भारदराम मेघवाल काश्त करता है। राजस्व रिकॉर्ड में खरयाराम के नाम दर्ज है जिसमें भी खनन का उल्लेख नहीं बताया गया। अप्रार्थी की भूमि पर कभी भी जिप्सम खनन नहीं किया गया है। अप्रार्थी की भूमि में जिप्सम है। प्रकरण न्यायालय में 2012 का मियादबाहर पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाए जाने योग्य के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2025.05.03 19:39:06 IST
Reason: Self Attested

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/102 दिनांक 25.02.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार चक 1 पीकेएम मु0नं0 204/33 के किला नं0 1 ता 15, 19, 20 की 17.00 बीघा कमाण्ड भूमि पर आदूराम पुत्र भारदराम मेघवाल काश्त करता है एवं जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के राजस्व रिकॉर्ड में खरथाराम के नाम दर्ज है।

तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट, तहसीलदार रिपोर्ट व प्रतिवादी खरयाराम द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

3 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

बहस सुनी गई। दौराने बहस राजपैरोकार ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की रिपोर्ट दिनांक 25.02.2020 ही साबित करती है कि प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है व अवैध खनन नहीं किया गया है एवं वादी ने अवैध खनन के कोई स्वतंत्र ग्वाह या साक्ष्य पेश नहीं किये है इससे साबित होता है कि प्रतिवादी द्वारा कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है। वादी के मियाद बाहर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/वादपत्र में वाद हैतुक में संशय उत्पन्न होता है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2025.05.03 19:39:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 25.02.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है। चूंकि इस क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत लगातार आती रहती है इसलिए वादपत्र के प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट को 10.12.12 को अनदेखा नहीं किया जा सकता है जिसमें किला नं0 1, 2 में अवैध खनन होना बताया है। इससे संदेह की स्थिति जरूर बनती है जिसमें काश्तकार की भूमिका है या अथवा नहीं इस प्रकार मजबूत आधार के बिना टिप्पणी नहीं की जा सकती है। वही प्रतिवादी तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को तहसीलदार रिपोर्ट ही साबित कर रही है और राजपैरोकार ने इसका कोई खण्डन नहीं किया है। वादी के वाद–हैतुक में संशय के कारण प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/काश्तकार की खातेदारी निरस्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रतिवादी अपने पक्ष को साबित करने में कुछ हद तक सफल भी रहा है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी का वादपत्र धारा 177 आरटीएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है एवं प्रतिवादी को हिदायत दी जाती है वह शास्ति राशि तहसील खाजूवाला में उपस्थित होकर नियमानुसार जमा करवाए। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार कार्यवाही करें। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2025.05.03 19:39:06 IST
Reason: SelfAttested

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)